# कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई
# जोन–05 सेक्टर 6 अनुविभाग
## नियम एवं शर्ते

नगर पालिक निगम जोन–05 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न उद्यान स्थापित है, जिसमें आम नागरिकों की मांग एवं स्थल की उपलब्धता अनुसार निर्माण कराया गया है। जिसकी संधारण,देखरेख, साफ–सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु ऑफर दर के आधार पर इच्छुक संस्थाये/एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित अंतर्गत नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है।

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 2000 (प्रत्येक उद्यान के लिये पृथक–पृथक) का एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) जोन आयुक्त जोन–01 नगर पालिक निगम भिलाई एवं राशि रू. 1000.00 मात्र का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधत उद्यानों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।
3. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमी स्मपूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित् कार्य प्रारंभ करना होगा।
4. उद्यानों के रखरखाव का कार्य लगातार 03 वर्षो के लिए एन.जी.ओ., दरदाता, समूह, व्यक्ति व एजेंसी को करना होगा। प्रथमतः 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा तत्पश्चात सफलता पूर्वक कार्य संपादन पूर्ण करने पर क्रमशः 02 बार 01 वर्ष के लिए अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
5. उल्लेखित उद्यानों का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।
6. उद्यान की देख–रेख, साफ–सफाई, संधारण एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य ऑफर दाता को स्वयं के व्यय से करना होगा।
7. उद्यानों में किसी तरह के नये कार्य, सौन्दर्यीकरण कार्य करने के पूर्व निगम से योजना प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
8. उद्यानों की परिसीमा में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
9. उद्यानों में विद्युत व्यय का वटन ऑफर दाता द्वारा किया जावेगा।
10. संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।



Scanned with CamScanner

11. उद्यानों के रख–रखाव संबंधी कार्यो में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति की जिम्मेदारी ऑफरदाता की होगी एवं दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

12. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्ते ऑफरदाता को सर्वमान्य होगा।

13. उक्त उद्यानों में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नही करेगा।

14. उद्यान पूर्णतः सार्वजनिक होगा जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा।

15. उद्यानों में किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधि तथा कोई नशा इत्यादि वर्जित होगा एवं उपरोक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की स्थिति में आफरदाता की जिम्मेदारी होगी।

16. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना , पशुधन, जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी।

17. सार्वजनिक उद्यान में निगम के पूर्व अनुमति से निम्नलिखित कियाकलाप संचालित किये जा सकेंगें :— 1. होर्डिंग लगाना 2 मिनी रेस्टोरन्ट 3. नाव संचालन 4. जुम्बा 5. लाईव म्यूजिक 6. फाउण्टेन 7. लॉन डेवलपमेंट 8. कार ट्रेन 9. चिल्ल्डरन पार्क 10. सामाजिक कार्यक्रम 11. बड्डे/छोटी पार्टी 12. छोटे कॉमर्सियल दुकान एवं अन्य गतिविधियां जो निगम के पूर्व अनुमति के अत्याधिन होगी।

18. स्वच्छ भारत मिशन के तहत कम्पोस्ट पिट का निर्माण एवं सूखे/गीले कचरे का निपटान करने की व्यवस्था करनी होगी।

19. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

जोन आयुक्त
जोन–05
नगर पालिक निगम,
भिलाई

Scanned with CamScanner